BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 13 सितम्बर, 2025 **थाना अहार**

ऑनलाइन निकासी किये गये कुल 71,984/- रुपये थाना अहार पुलिस द्वारा अथक परिश्रम कर बैंक खाते में वापस करायें।

दिनांक 05.10.2024 को आवेदक श्री मौ0 कामरान पुत्र असगर अली निवासी ग्राम शफीनगर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर एक शिकायत की जिसमें वादी के फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लिंक भेजा गया तथा लिंक पर क्लिक करने पर बैंक खाते में पैसे आने का झांसा देकर आवेदक के खाते से कुल 71984/- रूपयों की ऑनलाइन निकासी किये जाने के आरोप अंकित किये गये थे। जिसके संबंध में थाना अहार पर मुअसं- 118/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना अहार साइबर हैल्प डेस्क द्वारा अथक परिश्रम करते हुए आवेदक के 71984/- रुपये वापस कराये गये। आवेदक द्वारा थाना अहार पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

सावधानः- किसी अनजान व्यक्ति से खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नम्बर इत्यादि साझा न करें।
खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरन्त 1930 पर कॉल करें।

पुलिस टीमः-

1. श्री भुवनेश कुमार सिंह थाना प्रभारी अहार।
2. उ0नि0 राकेश चौधरी
3. क0ऑ0 फखरूद्दीन

मीडिया सैल बुलन्दशहर।